

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
51 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 21.05.2011

समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थान :- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार (सभागार)

## अनुक्रमणिका

क्र०सं०	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	49 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	1 से 8 तक
2	50 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	9
3	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -01	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रस्तावित आय-व्ययक। वित्तीय वर्ष 2010-11 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	10 से 14 तक
4	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -02	प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना में आरक्षित 16 भवनों के आवंटन की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	15
5	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -03	मलौट धाम चैरीटेबल ट्रस्ट मुखिया गली भूपतवाला, हरिद्वार के अनाधिकृत निर्माण के शमन शुल्क को माफ किए जाने के सम्बन्ध में।	16
6	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -04	डॉ० डी०के० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नं०-91 (क) मि० जिसका भू-उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	17
7	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -05	सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	18
8	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -06	प्राधिकरण में तकनीकी कार्मिक श्रेणी (अभियन्ता/मानचित्रकार) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु शुल्क को पुनः निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	19
9	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -07	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी-सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव।	20
10	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं० -08	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण स्तर के अधिकारी हेतु आवास निर्माण के सम्बन्ध में।	21

11	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -09	ग्राम सलेमपुर महदूद-2 जिला हरिद्वार के खसरा नं0-1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	22
12	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -10	ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के खसरा नं0-1535 एवं 1537 का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	23
13	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -11	प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में।	24
14	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -12	प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित निविदाओं के विक्रय मूल्य को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	25
15	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -13	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	26
16	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -14	श्यामलोक आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन संबंधी:-	27
17	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -15	शिवलोक आवासीय योजना भाग-3 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी।	28
18	51 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 -16	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	29

प्राधिकरण की 49 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.09.2010 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 49 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 49 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.09.2010 की

अनुपालन आख्या :-

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
46.मद संख्या-2	प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006-2025 पर प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों के सम्बन्ध में।	बैठक के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।	निर्णय के अनुपालन में शासन को कार्यालय पत्र सं०-1611, दिनांक 06.10.2010 द्वारा प्रेषित किया गया। कार्यवाही शासन स्तर से अपेक्षित है।
46.मद संख्या-3 :	ऋषिकेश महायोजना भाग-ब का प्रारूप (2011-2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	बैठक के निर्णय के अनुपालन में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्र सं०-2964 दिनांक 18.01.2010 के क्रम में बिड डाक्यूमेंट की हिन्दी रूपान्तर की कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ नियोजक को भेजने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में हिन्दी रूपान्तरण कार्यालय-पत्र संख्या 1564, दिनांक 04.10.2010 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया। कार्यवाही शासन स्तर से अपेक्षित है।
46.मद संख्या-4 :	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण एस०टी०सी०पी० से परामर्श हेतु प्रेषित किया गया था। एस०टी०सी०पी० द्वारा अपने पत्र सं०-1682/नग्रानि/ह०वि०प्रा० तकनीकी/2009 दिनांक 16 जुलाई 2009 द्वारा कतिपय सूचनाएं मांगी गई थी जिस पर प्राधिकरण को तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में सर्वे कराकर सूचना एकत्र की जा रही है।
46.मद संख्या-5:	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा इस पर सुनियोजित विकास हेतु एस०टी०सी०पी० से विस्तृत परीक्षण एवं परामर्श उपरान्त उक्त कार्ययोजना को त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में एस०टी०सी०पी० से प्राप्त आख्या दिनांक 21.10.2010 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

1

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 51वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-05-2011 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-05-2011 को अध्यक्ष, ह०वि०प्रा०/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी :-  
बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री अजय सिंह नबियाल, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री चन्द्रशेखर भट्ट उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा०, हरिद्वार	उपाध्यक्ष
3. श्री एम०सी०जोशी, अपर सचिव वित्त (प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
4. श्रीमती गरिमा रोकली, उप सचिव, आवास (प्रमुख सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
5. श्री एस०एन०पाण्डे, ए.डी.एम. हरिद्वार (जिलाधिकारी के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
6. श्री एस०के०पन्त, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य
7. श्री देवमूर्ति यादव, प्रशासक, नगर पंचायत रानीपुर, हरिद्वार।	पदेन सदस्य
8. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
9. श्री कमल कुमार जोरा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
10. श्री एस०सी०गुप्ता, महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल गंगा (सचिव पेयजल के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
11. श्री राजेश कुमार आहूजा, सहायक अभियन्ता, (प्रमुख सचिव सिंचाई के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर भट्ट द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष /आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

(1) प्राधिकरण की 49 वीं बोर्ड बैठक दि० 16-09-2010 एवं 50वीं बोर्ड बैठक दि० 20-12-2010 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना एवं कार्यवाही पर विचार विमर्श करते हुए निम्नानुसार अपेक्षा की गई:-

46(2) प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप वर्ष 2006-2025 पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के सम्बन्ध में बैठक के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/आयुक्त की ओर से शासन को अनुस्मारक पत्र भेजा जाय।

46(3) ऋषिकेश महायोजना भाग-ब का प्रारूप (वर्ष 2011-2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में सी.टी.सी.पी. द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वे टीम के गठन के लिये उनके द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसपर शासन का निर्णय अपेक्षित है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

1

46.मद संख्या-6 :	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा इस पर सुनियोजित विकास हेतु एस0टी0सी0पी0 से विस्तृत परीक्षण एवं परामर्श उपरान्त उक्त कार्ययोजना को त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में एस0टी0सी0पी0 से विस्तृत परीक्षण एवं परामर्श उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। RFQ document तैयार कर परीक्षण किया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
46.मद संख्या-7 :	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी।	बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया, बैठक में यह भी तथ्य अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना शहर के व्यस्त इलाके में न होने के कारण ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित व्यवसायी इस योजना में आने के इच्छुक नहीं है जिस पर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित व्यवसायियों के साथ गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बहादुराबाद के आस-पास वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि भी देख ली जाए।	निर्णय के अनुपालन में ट्रांसपोर्ट नगर में एस0टी0सी0पी0 की राय उपरान्त संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 15.11.10 को उपाध्यक्ष द्वारा प्रदान की गई। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। तथा बहादुराबाद के आस-पास वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि की तलाश जारी है।
46.मद संख्या-8 :	श्री डी0के0 अग्रवाल, हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद।	श्री डी0के0अग्रवाल द्वारा बोर्ड के निर्णयनुसार अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।	निर्णय के अनुपालन में नो0/हरि0/189/04-05 में मार्गाधिकार से प्रभावित निर्माण को हटा दिया गया है। अतः निर्माण को शमन/स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु बोर्ड की स्वीकृति अपेक्षित है।

46(4) हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने के प्रकरण में वांछित सूचनाएं एकत्र कर समुचित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

46(5) इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय के क्रम में किये गये अनुपालन से बोर्ड अवगत हुए एवं तदक्रम में प्रकरण निस्तारित माना गया।

46(6) इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में निर्णय के क्रम में की गई अनुपालना से बोर्ड अवगत हुए एवं तदानुसार प्रकरण निस्तारित माना गया।

46(7) ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय के अनुपालन से बोर्ड अवगत हुए। बहादुराबाद के आस-पास वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गई कि सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए भूमि अधिग्रहण अथवा आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जाय। बोर्ड इस मत से भी सहमत हुए कि इससे भूमि बैंक (Land Bank) के रूप में भी प्राधिकरण को सुविधा होगी।

46(8) श्री डी0के0अग्रवाल हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में सभी नियमों एवं गाइड लाइन्स का विस्तार से परीक्षण किया जाय तदनुसार शमन की प्रार्थना पर विचार एवं निर्णय किया गया। तदानुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित समझा जाय।

46(18) श्रीमती पुनीता सहगल शिवलोक भाग-2 में भवन सं0-3बी प्रथम तल में किश्त गणना वृटि के सम्बन्ध में बैठक में विस्तार से चर्चा के दौरान बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि मा0 न्यायालयों के निर्णय के क्रम में कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि यदि देय राशि से कम वसूली की बाध्यता रहती है तो अन्तर की राशि को राईट ऑफ (write off) करने की भी कार्यवाही की जाय। तदानुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना जाय।

46(21) हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अन्तर्गत हरिद्वार एवं मुनिकीरेती में ट्राजिट हास्टल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि मुनिकीरेती में यदि शासन से भूमि उपलब्ध हो जाती है तो संयोजन की व्यवस्था एवं sustainability सहित उपयोगिता एवं उपयुक्तता पर विचार करते हुए कार्यवाही जाय। हरिद्वार में ट्राजिट हास्टल निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लाभकारी न पाये जाने के कारण असहमति प्रदान की गयी। तदानुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना जाय।

<p><b>46.मद संख्या-18 :</b></p>	<p>श्रीमती पुनीता सहगल शिवलोक आवासीय योजना भाग-2 में भवन संख्या : एम-3बी0 प्रथम तल में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध में ।</p>	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि गणना की त्रुटि हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की सलिप्तता तो नहीं है, इस बिन्दु की जांच की जाय तथा त्रुटि हेतु गणना की जांच को गम्भीरता से लिया जाय ।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्रकरण की जांच हेतु समिति गठित की गयी। समिति की आख्या दिनांक 18.04.2011 में यह पाया गया की गणना करते समय किश्तों में 8 माह की देय ब्याज राशि किश्तों में जोड़ने से छूट गई थी जिससे गणना राशि में अन्तर आया है। चूंकि तत्कालीन मु0लेखाधिकारी की देख-रेख में गणना की गई थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है अतः उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। जांच में किसी अधिकारी/कर्मचारी की सलिप्तता प्रतीत नहीं पाई गई। माननीय जिला उपभोक्ता फोरम हरिद्वार में रिमांड वाद दिनांक 18.12.2009 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2010 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्रीमती सहगल से आपसी सहमति उपरान्त भवन की लीजडीड दिनांक 19.10.2010 को की जा चुकी है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है। अतः प्रकरण ऐजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p><b>46.मद संख्या-21 :</b></p>	<p>हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अंतर्गत हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कार्य कराने हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषयक।</p>	<p>हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अंतर्गत हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अनुमति चाही गयी थी, जो अपेक्षित है। हरिद्वार क्षेत्र में अभी तक भूमि का चयन नहीं किया जा सका है, इसकी आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है। मुनिकीरेती में भूमि की आवश्यकता हेतु शासन को अनुस्मारक भेजा जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव शासन को कार्यालय के पत्र सं0 1998 दिनांक 28.10.2010 को भेजा जा चुका है। प्रकरण में शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है। हरिद्वार में ट्रांजिट हास्टल के निर्माण हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के पीछे पडी रिक्त भूमि को उपयुक्त पाया गया है। भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।</p>

49.मद संख्या-1	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010-11 का प्रस्तावित आय व्ययक।	उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु प्राविधानित आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कतिपय राजस्व मदों में अनुमानित आय विविध वर्षों की प्राप्तियों के सापेक्ष कम प्रदर्शित किया गया है, जबकि प्राप्तियों अधिक होने की संभावना है। विचारोपरान्त प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत संशोधित आय-व्ययक 2010-11 संलग्नक-1 अनुमोदित किया गया है।	निर्णय के अनुपालन में अनुमोदित आय-व्ययक के अनुसार कार्यवाही की गयी।
49.मद संख्या-2	श्रीमती पूनम सिंह पुत्री श्री अमन सिंह, निदेशक मै0 गर्ग फूड प्रा0 लि0 रावली महदूद, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र संख्या- मान/हरि/एस0डब्लू-40/2010-11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के समक्ष श्रीमती पूनम सिंह पुत्री श्री अमन सिंह, निदेशक मै0 गर्ग फूड प्रा0 लि0 रावली महदूद, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार का होटल मानचित्रसं0-मान0/हरि0/एस0डब्लू 40/2010-11 की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्राधिकरण प्रस्तावित स्थल का सी0टी0सी0पी0 से स्थलीय निरीक्षण करवाकर उनके परामर्श के अनुसार आवेदक से आवश्यक अन्डरटेकिंग प्राप्त करें ताकि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण में विचलन की संभावना न रहे। सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।	निर्णय के अनुपालन में आवेदक से विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय पत्र सं0-1923 दिनांक 23.10.10 द्वारा सूचित किया गया। आवेदक द्वारा मानचित्र की प्रति दिनांक 25.10.10 में प्रस्तुत की गयी है जिसे परीक्षण हेतु S.T.C.P को पत्र संख्या 1999 दिनांक 29.10.10 द्वारा प्रेषित किया गया। S.T.C.P द्वारा अपने पत्र सं0 2326 दिनांक 12.11.10 द्वारा आख्या प्राप्त है। मानचित्र दिनांक 11.01.11 में स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

**मद सं0-49 (01)** हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009-10 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक विषय पर कोई कार्यवाही लम्बित न होना अतगत कराया गया। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना जाय।

**मद सं0-49 (02)** श्रीमती पूनम सिंह पुत्री श्री अमन सिंह, निदेशक मै0 गर्ग फूड प्रा0 लि0 रावली महदूद, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मान0/हरि0/एस0डब्लू-40 /2010-11 के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि दि0 11-01-2011 को मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है। तदनुसार बोर्ड द्वारा प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना गया।

**मद सं0-49 (03)** श्री गिरधारी लाल चावला पुत्र श्री अमृत लाल चावला ग्राम सलेमपुर महदूद भाग-2, जिला हरिद्वार, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मान0/हरि0/ एस0डब्लू-41/2010-11 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है। तदनुसार बोर्ड द्वारा प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना गया।

**मद सं0-49 (04)** बोर्ड को अवगत कराया गया कि ग्राम भोपतवाला कलों, हरिद्वार खसरा नं0-50 /06 एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर मै0 अजय कुमार एण्ड संस द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है। तदनुसार बोर्ड द्वारा प्रकरण को एजेण्डा मद से निस्तारित माना गया।

**मद सं0-49 (05)** हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

**मद सं0-49 (06)** प्राधिकरण में नियमित कर्मियों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0सी0एफ0)के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

**मद सं0-49 (07)** श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से रिक्त आशुलिपिक पद पर पदस्थानापन्न /समायोजन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि न्यूनतम अर्हता तथा नियमों के सम्बन्ध में परीक्षण करने के उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<p>49.मद संख्या-3 :</p>	<p>श्री गिरधारी लाल चावला पुत्र श्री अमृत लाल चावला, ग्राम सलेमपुर महदूद भाग-2, जिला हरिद्वार, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र संख्या-मान/हरि/एस0डब्ल्यू-41/2010-11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के समक्ष श्री गिरधारी लाल चावला पुत्र श्री अमृत लाल चावला ग्राम सलेमपुर, रावली महदूद भाग-2 सिडकुल मार्ग, हरिद्वार का होटल मानचित्र सं0-मान0/हरि0/एस0डब्ल्यू-41/2010-11 की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्राधिकरण प्रस्तावित स्थल का सी0टी0सी0पी0 से स्थलीय निरीक्षण करवाकर अनके परामर्श के अनुसार आवेदक से आवश्यक अन्डरटेकिंग प्राप्त करें ताकि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण में विचलन की सम्भावना न रहे। सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय-पत्र सं0-1922 दिनांक 23.10.10 द्वारा सूचित किया गया। S.T.C.P द्वारा अपने पत्र सं0 2326 दिनांक 12.11.10 के अनुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>49.मद संख्या-4 :</p>	<p>ग्राम भोपतवाला कर्लों, हरिद्वार खसरा नं0- 50/06, एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर मै0 अजय कुमार एण्ड संस द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।</p>	<p>उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के समक्ष ग्राम भोपतवाला कर्लों हरिद्वार खसरा नं0-50/06 एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर मै0 अजय कुमार एण्ड संस का होटल मानचित्र की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्राधिकरण प्रस्तावित स्थल का सी0टी0सी0पी0 से स्थलीय निरीक्षण करवाकर अनके परामर्श के अनुसार आवेदक से आवश्यक अन्डरटेकिंग प्राप्त करें ताकि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण में विचलन की सम्भावना न रहे। सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या- 1921 दिनांक 23.10.10 द्वारा सूचित किया गया। S.T.C.P द्वारा अपने पत्र सं0 2326, दिनांक 12.11.10 के अनुसार मानचित्र सं0: मान/हरि0/SW-214/2010-11 स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

49.मद संख्या-5 :	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्राधिकरण में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र सं०-1953 दिनांक 26.10.2010 के द्वारा आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। कार्यवाही शासन स्तर पर अपेक्षित है।
49.मद संख्या-6 :	प्राधिकरणों में कार्यरत नियमित कर्मियों को अंशदायी मविध्य निधि (सी०पी०एफ०)के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किए जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्राधिकरण में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए प्राधिकरण बोर्ड की सहमति/संस्तुति से शासन को अवगत कराया जाय।	निर्णय के अनुपालन में शासनादेश को अंगीकृत करते हुये लागू कर लिया गया है तथा बोर्ड की सहमति/संस्तुति से शासन को इस कार्यालय के पत्र सं०-1834 दिनांक 13.10.2010 को अवगत कराया जा चुका है।
49.मद संख्या-7 :	श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/ समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आशुलिपिक पद हेतु न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में कार्यालय स्तर पर परीक्षण कर लिया जाय तदुपरान्त आगामी बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।
49.मद संख्या-8 :	प्राधिकरण वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार।	प्राधिकरण वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी के सम्बन्ध में बोर्ड पर निर्णय लिया गया कि उक्त हेतु औचित्यपूर्ण संस्तुति अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रेषित की जाय।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने व नये वाहन क्रय करने हेतु औचित्यपूर्ण संस्तुति के प्रस्ताव का अनुमोदन क्रमशः दिनांक 04.10.10 एवं 21.12.10 के द्वारा प्राप्त करते हुए उक्त वाहन की नीलामी दिनांक 07.01.2011 को की जा चुकी है तथा नया वाहन बोलेरो जीप दिनांक 11.01.2011 को क्रय कर ली गयी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
49.मद संख्या-9 :	श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा०लि०ग्राम सलेमपुर महदूद जिला-हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग चाहे गये उपयोग के अनुरूप हो तदनुसार ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या-1936 दिनांक 25.10.10 के द्वारा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 3400 दिनांक 27.01.2011 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

6

**मद सं०-49 (08)** बोर्ड प्रकरण की प्रगति से अवगत हुए। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना गया।

**मद सं०-49 (09)** बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा०लि०ग्राम सलेमपुर महदूद जिला-हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण पर निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा अपने पत्र सं०-3400 दि० 27-01-2011 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना गया।

**मद सं०-49 (10)** बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा०लि०ग्राम सलेमपुर महदूद जिला-हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है एवं शासन से निर्णय अपेक्षित है।

**मद सं०-49 (11)** बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिदल टैक्स फैंब प्रा० लि०, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला-हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण को सन्दर्भित किया गया है एवं शासन से निर्णय अपेक्षित है।

**मद सं०-49 (12)** बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति विषयक प्रकरण में शासन द्वारा शासनादेश सं०-485/V-2011-116(आ)/2010, दि० 15-04-2011 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ गेस्ट हाउस के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना गया।

**मद सं०-49 (13)** अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

13(1) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड अवगत हुए। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना जाय।

13(2) श्री रामचन्द्र सिंह नेगी (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रगति से बोर्ड अवगत हुए।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

<p><b>49.मद</b> <b>संख्या-10 :</b></p>	<p>श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा०लि० ग्राम सलेमपुर जिला-हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।</p>	<p>बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग चाहे गये उपयोग के अनुरूप हो तदनुसार ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या:-1937 दिनांक 25.10.10 के द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया। कार्यवाही शासन स्तर से अपेक्षित है।</p>
<p><b>49.मद</b> <b>संख्या-11 :</b></p>	<p>श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फ़ैब प्रा०लि०, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला- हरिद्वार के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।</p>	<p>बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग चाहे गये उपयोग के अनुरूप हो तदनुसार ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव शासन को कार्यालय के पत्र सं० 2019 दिनांक 29.10.10 को भेजा जा चुका है। कार्यवाही शासन स्तर से अपेक्षित है।</p>
<p><b>49.मद</b> <b>संख्या-12 :</b></p>	<p>आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति विषयक।</p>	<p>बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इस प्रकार के प्रकरणों को शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या:-1939 दिनांक 25.10.10 के द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 3225 दिनांक 16.12.10 प्राप्त हुआ जिसपर प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 3093 दिनांक 25.01.11 के अनुसार उत्तर प्रेषित किया। शासन द्वारा शासनादेश संख्या 485/V-2011-116(आ)/2010, दिनांक 15.04.2011 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ गेस्ट हाऊस के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।</p>

49.मद संख्या-13 :	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
(13)1	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से रू0. 15000-00 प्रतिमाह पारिश्रमिक दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।	निर्णय के अनुपालन में रू0. 15,000-00 मासिक पारिश्रमिक की सुविधा प्रदान कर दी गई है। अतः प्रकरण ऐजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
(13)2	श्री रामचन्द्र सिंह नेगी (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुर्न सेवा योजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार गणना कर ली जाए, यदि गणना पारिश्रमिक रू0. 6,000-00 तक की सीमा तक आता है तो सम्बन्धित को अनुमन्य किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
(13)3	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	वरिष्ठ नियोजक के सुझाव के क्रम में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने को निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में सर्वे का कार्य पूर्ण करते हुए तहसील रुड़की से सजरा/खसरा आदि की नकलें प्राप्त की जा रही है।

प्राधिकरण की 50 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2010 को परिचालन विधि से आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 50 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 50 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2010 की अनुपालन आख्या :-

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
50.मद संख्या-1	सिरीन टूरिज्म वेन्चर्स हेतु ग्राम घुघत्याणी तल्ली, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल में विभिन्न खसरा संख्या के कुल 1.863 एकड़ भूमि का भू-उपयोग कृषि से पर्यटन किया जाना।	कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न शासन के पत्र संख्या-2620/वी/10-15 (एल.यू.सी)/10 दिनांक 02.11.2010 एवं शासन को प्रेषित कार्यालय पत्र संख्या-224/प्रशा0(ख)-08/2008-09 दिनांक 13.05.2010 जिसकी प्रति आपको प्रेषित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण से सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कृषि से पर्यटन किये जाने का अनुरोध किया गया है। ऋषिकेश महायोजना भाग 'ब'-2011 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कृषि है। स्थल ऋषिकेश बद्दीनाथ मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है तथा स्थल पर पंधुच मार्ग 12.00 मी0 चौड़ा है। गैर आवासीय भवनों की स्वीकृति हेतु 12.00मी0 चौड़ा मार्ग आवश्यक है जो मानकों के अनुसार है। ऋषिकेश महायोजना भाग-'ब' के अनुसार पर्यटन भू-उपयोग में होटल निर्माण स्वीकार्य भू-उपयोग के अन्तर्गत है (संलग्नक-ए)। शासनादेश संख्या-1205/वी/3ग-2005-11 (एल.यू.सी)/2005 दिनांक 12.04.2005 (संलग्नक-बी) के अनुसार कृषि से पर्यटन में भू-उपयोग परिवर्तन अनुमत्य है। शासनादेश के अनुसार कृषि से पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमत्य है, जो शासन में निहित है।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 2706, दिनांक 20.12.10 के द्वारा शासन को प्रस्ताव संदर्भित किया गया। इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त शासनादेश संख्या-465/V-2010-15(LUC)/2010, दिनांक: 04.05.11 के अनुसार भू-उपयोग कृषि से पर्यटन कर दिया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

9

13(3) वरिष्ठ नियोजक के सुझाव के क्रम में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि तत्काल तहसील रुड़की से सजरा/खसरा आदि की नकले प्राप्त करते हुए सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

**मद सं0-50 (1)** बोर्ड को अवगत कराया गया कि सिरीन टूरिज्म वेन्चर्स हेतु ग्राम घुघत्याणी तल्ली, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला -टिहरी गढ़वाल में विभिन्न खसरा संख्या के कुल 1.863 एकड़ भूमि का भू-उपयोग कृषि से पर्यटन किये जाने के प्रकरण में शासनादेश सं0-465/-2010-15(LUC)/2010 दि0 04-05-2011 के अनुसार भू-उपयोग कृषि से पर्यटन कर दिया गया है। तदानुसार प्रकरण एजेण्डा मद से निस्तारित माना जाय।

**मद सं0-51 (01)** हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रस्तावित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 का वास्तविक आय-व्यय के सम्बन्ध में बैठक विस्तार से चर्चा की गयी तथा 2011-12 हेतु प्रस्तावित बजट में आय की अपेक्षा व्यय अधिक रखने पर आपत्ति जताई गयी एवं अपेक्षा की गयी कि बजट को संतुलित किया जाय। तदानुसार प्रस्तावित बजट को उक्त संशोधन सहित सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

**मद सं0-51 (02)** प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना में आरक्षित 16 भवनों के आवंटन की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी तथा बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त समस्त आवंटित 62 भवनों के समस्त आवंटियों का पूर्ण विवरण, बकायादारों की सूची आदि सम्बन्धी सूचनाओं सहित निस्तारण हेतु समुचित विकल्पों को प्रस्तावित कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

**मद सं0-51 (03)** मलोट धाम चैरीटेबल ट्रस्ट मुखिया गली भूपतवाला, हरिद्वार के अनाधिकृत निर्माण के शमन शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से शमन शुल्क माफ किये जाने में असहमति दी गई। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

**मद सं0-51 (04)** डा0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नं0-91 (क) मि0 जिसका भू-उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी समस्त नियमों इत्यादि का विस्तृत परीक्षण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

मद संख्या-51(01)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रस्तावित आय-व्ययक।  
 वित्तीय वर्ष 2010-11 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्राधिकरण  
 का निम्नलिखित आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

		(Rs. In lac)					
		Actual	Actual	Actual	Proposed	Up to	Proposed
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	31.03.11	2011-12
	Opening Balance	13352.17	2219.79	2771.88	3363.22	3363.22	3000.02
<b>A</b>	<b>Revenue Income</b>						
1	stamp duty	191.69	361.29	0.00	0.00	20.87	0.00
2	Interest on investments	66.13	90.34	111.38	115.00	162.09	140.00
3	Map Fee	95.96	100.63	152.56	200.00	52.72	65.00
4	Compound Fee	59.90	162.14	195.73	300.00	133.95	200.00
5	Supervision Fee	8.67	25.71	34.75	40.00	5.87	10.00
6	Other Income ( Tender, Lease rent Etc.)	5.43	4.18	12.50	15.00	6.73	10.00
7	Development Fee	218.69	301.08	494.45	600.00	73.87	85.00
8	Land use conversion Fee	15.62	159.11	36.53	80.00	18.75	80.00
10	Ambaar Fee	12.86	17.71	25.72	30.00	3.84	5.00
9	Free hold Fee	2.86	3.69	32.37	60.00	136.98	150.00
10	Maintenance Fee of Harilok	1.96	5.59	2.22	10.00	2.87	10.00
11	Haritama Fee	25.73	35.42	51.44	60.00	7.68	10.00
12	Sale of Broucher	0.00	3.60	0.00	5.00	0.00	5.00
<b>A</b>	<b>Total Revenue Income</b>	<b>705.50</b>	<b>1270.49</b>	<b>1149.65</b>	<b>1515.00</b>	<b>626.22</b>	<b>770.00</b>

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

		Actual	Actual	Actual	Proposed	Up to	Proposed
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	31.03.11	2011-12
<b>B</b>	<b>Capital Income</b>						
1	Rishilok Scheme	4.16	0.64	1.44	2.00	0.40	2.00
2	Shivlok scheme	9.23	5.59	2.77	4.00	2.97	3.00
3	Harilok scheme	27.11	6.24	11.27	16.00	12.27	15.00
4	Shyamlok scheme	5.16	5.19	3.57	8.00	62.69	5.00
5	Ashray Yojana	4.42	5.29	8.39	6.00	4.47	7.00
6	Transport Nagar, Haridwar	54.38	139.86	162.27	1500.00	116.73	1500.00
7	Indra Lok Scheme -1	939.61	742.84	142.72	600.00	358.21	1000.00
8	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1000.00
9	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
10	Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1600.00
11	Recovery from staff for HBA & car loan etc.	1.13	0.79	0.53	0.50	0.41	0.50
12	Deposit work (AKM, MLA Nidhi Etc.)	0.00	0.00	548.95	15.00	19.25	30.00
13	Return from S.L.A.O. (Harilok-2)	360.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
	<b>Total Capital Income</b>	<b>1405.20</b>	<b>906.44</b>	<b>881.91</b>	<b>5321.50</b>	<b>747.40</b>	<b>5662.50</b>
	<b>Total Income (A+B)</b>	<b>2110.70</b>	<b>2176.93</b>	<b>2031.56</b>	<b>6836.50</b>	<b>1373.62</b>	<b>6432.50</b>
	<b>Total Income including Opening balance</b>	<b>15462.87</b>	<b>4396.72</b>	<b>4803.44</b>	<b>10199.72</b>	<b>4736.84</b>	<b>9432.52</b>
<b>A</b>	<b>Revenue Expenditure</b>						
1-	<b>Establishment</b>						
(i)	Staff salary & allowances	65.19	94.10	103.19	160.00	164.70	200.00
(ii)	T.A. bill	0.47	0.51	0.86	1.50	0.73	2.00
(iii)	Encashment /Pension Anshdan	0.55	0.00	2.59	3.00	0.37	10.00
(iv)	honorarium	0.01	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
(vi)	Medical re-imbusement	0.00	0.07	0.25	5.00	2.95	6.00
	<b>Total (A)</b>	<b>66.22</b>	<b>94.68</b>	<b>106.89</b>	<b>170.00</b>	<b>168.75</b>	<b>218.50</b>

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

		Actual 2007-08	Actual 2008-09	Actual 2009-10	Proposed 2010-11	Up to 31.03.11	Proposed 2011-12
<b>B</b>							
2-	<b>Office / Misc. Expenditure</b>						
(i)	Postage	0.29	0.19	0.20	0.50	0.17	0.50
(ii)	Stationary	2.34	2.63	2.34	3.00	1.99	3.00
(iii)	Office maintainace	1.05	12.50	22.53	20.00	8.76	20.00
(iv)	Chairman office maintainace	0.97	1.08	2.20	3.00	1.98	3.00
(v)	Telephone Expenditure.	1.06	1.43	1.76	3.00	1.87	3.00
(vi)	Library	0.03	0.00	0.07	0.25	0.06	0.50
(vii)	Leagal Expenditure.	3.75	5.21	15.68	38.00	29.43	50.00
(viii)	Atithi Satkar	0.36	0.69	0.76	1.50	0.59	2.00
(ix)	Printing	0.12	1.41	0.68	2.00	0.98	3.00
(x)	Advertisement	6.60	11.08	12.92	15.00	9.35	15.00
(xi)	Audit Fee	0.00	10.00	9.20	15.00	0.00	30.00
(xii)	Misc. Expenditure	1.47	2.06	4.00	5.00	4.39	5.00
(xiii)	Employee Welfare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
(xiv)	Maint. Of Machines	0.00	0.00	0.14	2.00	0.35	2.00
(xv)	Maint of Electricity	1.81	2.12	1.97	3.00	2.07	3.00
(xvi)	Discresonory	0.30	0.39	0.75	2.00	2.00	5.00
(xvii)	Temp. Advance.	0.54	1.61	-0.06	1.00	19.51	1.00
(xviii)	Computer. Maintenance.	0.33	0.62	2.64	4.00	2.11	4.00
(xix)	Transfer of ambar Fee	0.00	0.00	0.00	30.00	5.43	5.00
(xx)	Maint. In Harilok	2.57	6.91	18.93	19.00	8.10	15.00
(xxi)	F.B.T. & Other Tex	18.54	83.31	26.42	30.00	0.00	100.00
(xxii)	<b>Total (B)</b>	<b>42.13</b>	<b>143.24</b>	<b>123.13</b>	<b>197.25</b>	<b>99.14</b>	<b>271.00</b>

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

		Actual 2007-08	Actual 2008-09	Actual 2009-10	Proposed 2010-11	Up to 31.03.11	Proposed 2011-12
<b>C</b>							
3-	<b>Vehicle</b>						
(i)	Maint.	2.62	3.93	5.89	6.00	4.55	6.00
(ii)	Petrol / Diesel	5.93	9.46	12.78	15.00	12.06	15.00
	<b>Total (C)</b>	<b>8.55</b>	<b>13.39</b>	<b>18.67</b>	<b>21.00</b>	<b>16.61</b>	<b>21.00</b>
<b>D</b>							
4-	<b>Advance to Employee</b>						
(i)	Vehicle	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00
(ii)	H.B.A	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	6.00
	<b>Total (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
<b>E</b>							
5-	Master Plan	3.59	0.58	0.21	10.00	2.17	10.00
	<b>Total (E)</b>	<b>3.59</b>	<b>0.58</b>	<b>0.21</b>	<b>10.00</b>	<b>2.17</b>	<b>10.00</b>
	<b>Total Revenue exp. (A+B+C+D+E)</b>	<b>120.49</b>	<b>251.89</b>	<b>248.90</b>	<b>405.25</b>	<b>286.67</b>	<b>529.50</b>
<b>A</b>	<b>Capital Exp.</b>						
1	Purchase of Vehicle / Machine	0.00	9.69	0.00	7.00	6.16	8.00
2	Purchase of Computer.	6.36	6.40	1.92	3.00	0.26	3.00
3	Ferniture / fixture	8.00	3.45	4.11	6.00	1.82	5.00
	<b>Total (A)</b>	<b>14.36</b>	<b>19.54</b>	<b>6.03</b>	<b>16.00</b>	<b>8.24</b>	<b>16.00</b>
<b>B</b>							
5	Purchase of Land						
(i)	For New Scheme	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
	<b>Total(B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2000.00</b>

Chairman /Commissioner

		Actual	Actual	Actual	Proposed	Up to	Proposed
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	31.03.11	2011-12
C							
6	<b>Deveiopment/ const Works in Schemes</b>						
(i)	Shivlok Scheme	0.19	0.00	0.00	2.00	0.90	2.00
(ii)	Shyamlok Scheme	0.00	1.16	0.10	2.00	0.00	2.00
(iii)	Harilok Scheme	0.00	0.00	0.00	510.00	555.20	0.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00
(v)	Interest. on Loan	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
(vii)	Infrast. Devt. Fund Works	342.39	672.20	300.57	1000.00	376.03	1000.00
(viii)	Deposit Works /kumb mela 2010	0.00	0.00	198.15	230.00	264.44	10.00
(ix)	Haritama / Plantation	9.12	8.13	9.25	50.00	6.95	40.00
(x)	Transport. Nagar Scheme	353.68	262.11	391.46	200.00	82.58	150.00
(xi)	BHEL. Rehab. Scheme	0.00	0.54	20.09	15.00	5.89	300.00
(xii)	Indra Lok Scheme- 1	12395.35	406.27	265.67	250.00	96.70	1000.00
(xiii)	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	0.00	2000.00	53.22	900.00
(xiv)	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00
	<b>Total (C)</b>	<b>13100.73</b>	<b>1350.41</b>	<b>1185.29</b>	<b>4439.00</b>	<b>1441.91</b>	<b>3594.00</b>
	<b>Total Capital Expenditure</b>	<b>13115.09</b>	<b>1369.95</b>	<b>1191.32</b>	<b>6455.00</b>	<b>1450.15</b>	<b>5610.00</b>
	<b>Total Expenditure</b>	<b>13235.58</b>	<b>1621.84</b>	<b>1440.22</b>	<b>6860.25</b>	<b>1736.82</b>	<b>6139.50</b>
	<b>Closing Balance</b>	<b>2227.29</b>	<b>2774.88</b>	<b>3363.22</b>	<b>3339.47</b>	<b>3000.02</b>	<b>3293.02</b>

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman /Commissioner

**मद संख्या-51(02)**  
**प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना में आरक्षित 16 भवनों के आवंटन की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।**

उत्तर प्रदेश आवास विभाग के शासनादेश संख्या-2228, दिनांक 01.05.1997 के क्रम में हरिलोक योजना में आश्रय के 78 भवनों का निर्माण किया गया है जिसमें से 62 भवन आवंटित किये गये और उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 4020/09-आ-1-1998, दिनांक 24.10.1998 के द्वारा 16 भवन आरक्षित रखे गये थे। उक्त भवनों को विक्रय किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को पत्र भेजे गये परन्तु शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। उक्त भवन रिक्त होने की वजह से खराब होते जा रहे हैं। पूर्व में इनमें से 62 भवनों को रू0.15.00 प्रतिदिन की दर पर 20 वर्ष हेतु विक्रय किया गया है।

अतः प्रस्ताव है कि इन अवशेष 16 भवनों के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने हेतु शासन को प्रकरण संदर्भित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-51(03)

मलौट धाम चैरीटेबल ट्रस्ट मुखिया गली भूपतवाला, हरिद्वार के अनाधिकृत निर्माण के शमन शुल्क को माफ किए जाने के सम्बन्ध में।

मलौट धाम चैरीटेबल ट्रस्ट मुखिया गली भूपतवाला, हरिद्वार का मानचित्र संख्या-133/02-03 दिनांक 12.12.2002 में स्वीकृत था। स्वीकृति के विपरीत निर्माण करने पर धारा-27/28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। विपक्षी द्वारा अनाधिकृत निर्माण का शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा प्रचलित शमन उपविधि-1996 के निर्गत अनाधिकृत निर्माण के शमन की कार्यवाही गयी। शमन शुल्क रू0. 6,09,172.00 निर्धारित कर दिनांक 24.03.2007 को विपक्षी को सूचित किया गया। शमन शुल्क की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली कराने हेतु कलेक्टर हरिद्वार को दिनांक 03 मार्च 2008 को प्रेषित किया गया। अध्यक्ष/सचिव, मलौट धाम द्वारा दिनांक 12.12.2008 में अनुरोध किया गया था कि संस्था धार्मिक कार्यों हेतु है और शमन शुल्क की धनराशि जमा करने में सक्षम नहीं है। शमन शुल्क माफ करने सम्बन्धी कोई भी शासनदेश/व्यवस्था प्राधिकरण में न होने के कारण प्रकरण दिनांक 07.01.2009 को शासन को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति/अभिमत की अपेक्षा की गयी है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-51(04)

डॉ० डी०के० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नं०-91 (क) मि० जिसका भू-उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

डॉ० डी०के० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द ऋषिकेश के खसरा नं०-91 (क) मि० जिसका सकबा 494.80 वर्ग मी० है, पर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त स्थल का ऋषिकेश महायोजना भाग-ब के अनुसार भू-उपयोग कार्यालय (जी) के अन्तर्गत है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भवन का निर्माण विशेष परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण सभा (बोर्ड) द्वारा अनुमोदित भू-उपयोग के अन्तर्गत है। स्थल के आस-पास पूर्व से ही आवासीय एवं आश्रम भवन निर्मित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-51(05)**  
**सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण में सेवानिवृत्त एक तहसीलदार एवं एक लेखपाल अनुबन्ध पर रखे गये थे। तहसीलदार का स्वर्गवास हो चुका है और लेखपाल द्वारा अस्वस्थ होने के कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की है जिस कारण वर्तमान में प्राधिकरण में कोई भी सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं लेखपाल अनुबन्ध पर कार्यरत नहीं है। प्राधिकरण में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/लेखपाल का पद सृजित नहीं है। उक्त कार्मिकों के अभाव में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य नहीं हो पा रहे हैं तथा अन्य प्रकरणों में भूमि सम्बन्धी जांच आदि कार्य किये जाने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है।

अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण में भू-सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं लेखपाल को सम्बन्धित कार्मिकों के वेतनमान के न्यूनतम अनुबन्ध वेतन पर रखे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

18

**मद सं०-51 (05)** सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि संविदा पर कार्य विशेष हेतु नियत अवधि के लिए योजना व्यय में शामिल करते हुए नई योजना की आवश्यकता/उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष अपने स्तर से कार्यवाही कर सकते हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी हरिद्वार से सम्पर्क कर तहसील से इच्छुक सेवारत कार्मिकों को भी विशेष मानदेय देते हुए उक्त कार्य हेतु तैनात किया जा सकता है।

**मद सं०-51 (06)** प्राधिकरण में तकनीकी कार्मिक श्रेणी (अभियन्ता/मानचित्रकार) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु शुल्क को पुनः निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई।

**मद सं०-51 (07)** ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी-सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि उक्त योजना के समस्त विज्ञापनों के फलस्वरूप अब तक आवंटित भूखण्डों आदि के सम्बन्ध में विधि सम्मत सम्पूर्ण तथ्यों सहित आगामी बैठक में विस्तृत विवरण (Detail) सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करे।

**मद सं०-51 (08)** इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण स्तर के अधिकारी हेतु आवास निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपनी सहमति दी गई तथा निर्देश दिये गये कि आवासों के निर्माण के उपरान्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित अधिकारी उक्त आवासों में अवश्य निवास करें।

**मद सं०-51 (09)** ग्राम सलेमपुर महदूद-2 जिला हरिद्वार के खसरा नं०-1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर को कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का एस०टी०सी०पी० से परीक्षण करा लिया जाय तदुपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

**मद सं०-51 (10)** ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के खसरा नं०-1535 एवं 1537 का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का एस०टी०सी०पी० से परीक्षण करा लिया जाय तदुपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

**मद संख्या-51(06)**  
**प्राधिकरण में तकनीकी कार्मिक श्रेणी (अभियन्ता/मानचित्रकार) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु शुल्क को पुनः निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि प्राधिकरण में विकास एवं भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु विभिन्न तकनीकी व्यक्तियों को एक पंचांग वर्ष हेतु लाईसेन्स दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के उपरान्त उपाध्यक्ष ह0वि0प्रा10 की संस्तुति पर इसका पुनः एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है। प्राधिकरण की 25वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.02.98 के मद संख्या-5 में उपयुक्त लाईसेन्स तथा नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में लाईसेन्स एवं नवीनीकरण शुल्कों की निर्धारित दरें काफी समय से (विगत 12 वर्षों से) प्रचलित हैं तथा दरें काफी कम हैं। चूंकि अन्य शुल्कों का पुनः निर्धारण हो चुका है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के संलग्नक मैनुअल-13 के अनुसार वर्तमान दरें प्रस्तावित हैं।

अतः अपर्युक्त शुल्क का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में निर्धारित दरों को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार पुर्निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0सं0	तकनीकी कार्मिक श्रेणी	वार्षिक पंजीकरण अनुज्ञा शुल्क रू0. में		वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रू0. में	
		वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
1	अभियन्ता	1000	2000	500	2000
2	मानचित्रकार	400	1000	200	1000

उपरोक्त के अतिरिक्त नवीनीकरण विलम्ब शुल्क पूर्व में नवीनीकरण शुल्क का 10% प्रतिमाह निर्धारित था। उक्त विलम्ब शुल्क वर्तमान निर्धारित नवीनीकरण शुल्क का 10% ही प्रस्तावित है। चूंकि वर्ष 2011 के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण 01 जनवरी, 2011 से पंजीकरण किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त प्रस्ताव पर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय से दिनांक 21.12.2010 को अनुमोदन प्राप्त करते हुए उक्त शुल्क लागू कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

### मद संख्या-51(07)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी-सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव ।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में गोदाम (जी-1)-05, गोदाम (जी-02)-22, गोदाम (जी-03)-22, गोदाम (जी-04)-40, वर्कशाप-05, ट्रांसपोर्ट आफिस-56, शोरूम-8, स्पेयर पार्ट शॉप-56 भूखण्ड प्रस्तावित है। उक्त भूखण्ड के सापेक्ष क्रमशः (जी-1)-01, (जी-2)-12, (जी-3)-18, (जी-4)-40, वर्कशाप-04, ट्रांसपोर्ट आफिस-27, शोरूम-8, स्पेयर पार्ट शाप-28 भूखण्ड रिक्त हैं। उक्त भूखण्ड में शासन द्वारा प्रस्तावित आरक्षण नीति के अन्तर्गत पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण निस्तारित नहीं हुए हैं। बोर्ड बैठक के मद संख्या -45(10) में लिए गये निर्णय के अनुसार निर्देश दिये गये थे कि रिक्त सम्पत्ति का विक्रय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण के माध्यम से एवं साथ ही साथ इस चरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक न मिलने से रिक्त सम्पत्ति को सामान्य वर्ग से निविदा-सह नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवंटन किया जाए। योजना में रिक्त सम्पत्ति का चतुर्थ चरण का पंजीकरण दिनांक 22.03.11 से 21.04.11 तक खुला था जिसमें रिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित आरक्षण वर्ग के पात्र आवेदक नहीं हैं।

अतः चतुर्थ चरण के पात्र आवेदकों का निस्तारण करते हुए शेष सम्पत्ति नीलामी-सह निविदा के माध्यम से सामान्य वर्ग से विक्रय किया जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

**मद संख्या-51(08)**  
**इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण स्तर के अधिकारी हेतु आवास निर्माण के सम्बन्ध में।**

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के संशोधित तलपट मानचित्र हेतु आयुक्त महोदय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 30.12.2010 के क्रम में व्यवसायिक भूखण्डों के बगल में स्थित रिक्त 400.00 वर्ग मी० भूमि पर सचिव का आवास एवं भूखण्ड संख्या-32 ए, क्षेत्रफल 300.00 वर्ग मीटर पर अधिशासी अभियन्ता के आवास निर्माण हेतु कुल रूपये-75.00 लाख की स्वीकृति बोर्ड फण्ड से प्रदान की गयी है। प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त दोनों आवासों के निर्माण कार्य हेतु ड्राईंग एवं डिजाईन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ड्राईंग एवं डिजाईन के आधार पर आंगणन तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। आंगणन इत्यादि तैयार कर नियमानुसार निविदा आमन्त्रित कर उक्त आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-51(09)**

**ग्राम सलेमपुर महदूद-2 जिला हरिद्वार के खसरा नं0-1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर को कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।**

ग्राम सलेमपुर महदूद-2, जिला हरिद्वार के खसरा नं0-1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर भूमि का कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या-841 दिनांक 16.11.2010 के संलग्नको सहित शासन के पत्र संख्या-3209/V/2010.आ.44 (एल.यू.सी)/2009, दिनांक 31.12.2010 के द्वारा प्राधिकरण को इस आशय से प्राप्त हुआ कि प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखते हुये प्राधिकरण बोर्ड के अभिमत/मंतव्य से शासन को अवगत कराया जाय।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं0-1514 का भू-उपयोग प्रचलित महायोजना-2001 भाग-अ के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी-5) के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उक्त खसरा नं0 के आस-पास के भूमि का भू-उपयोग कृषि हरित पट्टी (पी-5) से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या- 2201/VII-II/144-उद्योग/08 दिनांक 17.07.2008 में उक्त खसरा नं0- 1514 को भी सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है।

अतः उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-51(10)**  
**ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के खसरा नं0-1535 एवं 1537 का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।**

ग्राम सलेमपुर महदूद-2 , जिला-हरिद्वार के खसरा नं0- 1535 रकबा 0.391 हैक्टर एवं खसरा नं0 1537 रकबा 0.151 हैक्टर कुल रकबा 0.5420 हैक्टर को कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखबीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह, निवासी 444ए, मिल रोड़, डोईवाला, देहरादून द्वारा दिनांक 20.10.2010 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। शासन द्वारा भी अपने पत्र संख्या-99/V. 2011.02 (एल.यू.सी.)/2011 दिनांक 27.01.2011 के द्वारा प्राधिकरण से सुस्पष्ट आख्या/मंतव्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखों से आवेदक के भू-स्वामित्व की पुष्टि होती है। स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना मानचित्र 2001 भाग-(अ) के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी-5) भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-1205, दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से व्यवसायिक में भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है, जो शासन में निहित है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-51(11)**  
**प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का क्षेत्र बहादुराबाद- हरिद्वार से लेकर तपोवन-लक्ष्मणझूला तक कुल चार जिलो में फैला हुआ है। तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के रूप में एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता तीन अवर अभियन्ता कार्यरत है। प्राधिकरण में वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति हेतु सिंगल विन्डो सिस्टम लागू है जिस कारण एक अवर अभियन्ता एवं एक सहायक अभियन्ता को प्रत्येक दिन कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्राधिकरण का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण अवैध निर्माणों की रोकथाम तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन एवं सूचना का अधिकार, न्यायालय शासन आदि के कार्यों में व्यस्त रहना है। प्राधिकरण में नियोजन के कार्यों हेतु नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक का पद रिक्त है जिस कारण योजनाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है। विगत दो तीन वर्षों में प्राधिकरण द्वारा दो-तीन योजनायें तैयार की गयी हैं जो प्लानिंग स्तर से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वर्तमान में प्राधिकरण की इन्दलोक आवासीय योजना भाग-1 एवं 2 में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में विगत कई वर्षों से प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) गठित है जिस कारण वहाँ की योजनाओं को गति प्रदान करने के साथ-2 कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। यदि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में भी पी0एम0यू0 सेल का गठन किया जाता है तो प्राधिकरण की वर्तमान योजनाओं को समय से पूर्ण कराने के साथ-2 कार्यों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। पी0एम0यू0 सेल पर आने वाले व्यय भार का वहन योजनाओं पर आरोपित 3.00 प्रतिशत कन्टीनजेंसी से किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की योजनाओं को गति प्रदान करने तथा उनकी समुचित देखरेख के साथ-2 समय से योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) का गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

24

**मद सं0-51 (11)** प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रोजेक्ट के आगणन में ही उक्त हेतु बजट की व्यवस्था कर ली जाय।

**मद सं0-51 (12)** प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित निविदा प्रपत्रों के विक्रय मूल्य को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई।

**मद सं0-51 (13)** प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने भूमि बैंक (Land Bank) की स्थापना हेतु प्रयास करें।

**मद सं0-51 (14)** श्यामलोक आवासीय योजना में श्री वरुण छाछर पुत्र श्री डालचन्द छाछर को विवेकाधीन कोटे से भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि शासनादेश में विवेकाधीन कोटे का कोई प्राविधान नहीं है। अतः प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से असहमति व्यक्त की गयी।

**मद सं0-51 (15)** शिवलोक आवासीय योजना भाग-3 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी श्री उमेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री महेश प्रसाद पाण्डेय को आवंटित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त श्री पाण्डेय को शिवलोक योजना भाग-3 से श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner

**मद संख्या-51(12)**  
**प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित निविदाओं के विक्रय मूल्य को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु उपलब्ध नियमावली में प्राधिकरण गठन से अबतक प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित निविदाओं के विक्रय हेतु जो शुल्को का निर्धारण है वह अत्यन्त ही कम है। ज्ञातव्य है कि समाचार-पत्रों द्वारा प्राधिकरण द्वारा जारी निविदाओं का प्रकाशन व्यवसायिक दर से किया जाता है जिस कारण निविदा प्रपत्रों के विक्रय से विज्ञापन बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है जिस कारण निविदा विक्रय की दरों को संशोधित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध दरों के अतिरिक्त समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों में अत्यन्त वृद्धि के दृष्टिगत निविदाओं के विक्रय मूल्य का निर्धारण उपलब्ध दरों के अतिरिक्त किया जाता रहा है। नियमावली में उपलब्ध दरों एवं प्रस्तावित संशोधित दरों का विवरण निम्नवत है:-

**उपलब्ध निविदा विक्रय दर:-**

क्रसं०	कार्य की अनुमानित लागत	वर्तमान में प्रचलित निविदा विक्रय मूल्य
1	रुपये-10.00 लाख तक निविदा हेतु	रुपये-200.00 + ट्रेड टैक्स
2	रुपये-10.00 लाख से 20.00 तक निविदा हेतु	रुपये-300.00 + ट्रेड टैक्स
3	रुपये- 20.00 लाख से अधिक	रुपये-500.00 + ट्रेड टैक्स

**प्रस्तावित संशोधित दर:-**

क्र०सं०	कार्य की अनुमानित लागत	प्रस्तावित संशोधित निविदा विक्रय मूल्य
1	रुपये-5.00 लाख तक निविदा हेतु	रुपये-500.00 + देय टैक्स
2	रुपये-05.00 लाख से 10.00 तक निविदा हेतु	रुपये-1000.00 + देय टैक्स
3	रुपये- 10.00 लाख से 15.00 लाख तक	रुपये-1500.00 + देय टैक्स
4	रुपये- 15 लाख से 25.00 लाख तक	रुपये-2000.00 + देय टैक्स
5	रुपये- 25.00 लाख से अधिक, प्रत्येक रुपये-5.00 लाख या उसके भाग की वृद्धि पर	बिन्दु संख्या-04 में उल्लिखित मूल्य के सापेक्ष रुपये-200.00 जोड़ते हुये परन्तु निविदा का अधिकतम मूल्य रुपये-5000.00+ देय टैक्स से अधिक नहीं होगा।

उक्त संशोधित निविदा पत्र मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदानार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-51(13)**  
**प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पास वर्तमान में लैण्ड उपलब्ध नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में भी लैण्ड बैंक बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा विजन 2020 के अन्तर्गत बहादुराबाद-रूडकी मार्ग पर लगभग 450 एकड़ क्षेत्र में नया हरिद्वार विकसित करने का प्रस्ताव शासन का प्रेषित किया गया है इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी लैण्ड बैंक बनाये जाने हेतु भूमि की आवश्यकता है भूमि अधिग्रहण करने में अत्यधिक समय भी लगता है तथा बाद में उसमें विवाद भी उत्पन्न होता है। आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-185/9-आ-3-93-11 V/93, दिनांक 16.08.1993 उपलब्ध है, जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति में सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण तथा सम्बन्धित परगनाधिकारी सदस्य है। यह समिति भूमि अधिग्रहण/क्रय करने हेतु अपनी संस्तुति जिसमें क्रय करने की दर एवं मूल्य भी सम्मिलित होंगे, मण्डलायुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

## मद संख्या-51(14)

### श्यामलोक आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन संबंधी

श्री वरुण छाछर पुत्र श्री डालचन्द छाछर, निवासी- फ्लैट नं०-एल० ०६ सी०, शिवलोक कालोनी फेज-२, हरिद्वार द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक ०८-१२-२०१० प्रस्तुत करते हुए प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना, हरिद्वार में रिक्त भूखण्ड संख्या-एम०-३५ अपने विशेषाधिकार (उपाध्यक्ष के विशेषाधिकार) से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री छाछर द्वारा उक्त पत्र की छायाप्रति मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित की गयी जिस पर दिनांक १२-०१-२०११ को मुख्य सचिव महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। श्री वरुण छाछर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह इंगित किया गया है कि उनके द्वारा प्राधिकरण की शिवलोक आवासीय योजना के अंतर्गत बचे हुए दो एच०आई०जी० के फ्लैट नं०- एच०-३ ए० व एच०-५ सी० में से एक फ्लैट के आवंटन हेतु पूर्व में भी दिनांक १९-१०-२००४ को अपना प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण के पास वर्तमान में उपलब्ध उत्तर प्रदेश, शासन एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्पत्ति आवंटन के संबंध में जारी किसी शासनादेश में उपाध्यक्ष के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत भूखण्ड/भवन आवंटन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में रिक्त सम्पत्तियों के निष्पारण हेतु पंजीकरण खोलते हुए नियमानुसार सम्पत्ति का आवंटन किया जा रहा है।

अतः श्री वरुण छाछर के श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड सं०-एम०-३५ के आवंटन संबंधी प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

## मद संख्या-51(15)

### शिवलोक आवासीय योजना भाग-3 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी :-

अवगत कराना है कि श्री उमेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० श्री महेश प्रसाद पाण्डेय को वर्ष 1997 में शिवलोक योजना भाग-3 में भूखण्ड संख्या-एम0-74 का आवंटन रुपये-1130-00 प्रति वर्गमीटर की दर से किया गया था । तदसमय कतिपय व्यक्तियों द्वारा उक्त भूखण्ड एवं इससे लगी हुई भूमि को पार्क की भूमि बताकर न्यायालय में वाद योजित कर दिया गया था । उक्त वाद का निष्पत्तारण न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में किया गया । तदोपरान्त प्रश्नगत भूखण्ड की संशोधित दर रुपये-3735-00 प्रतिवर्गमीटर पर तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 19-9-2008 के अनुपालन में आवंटी को भूखण्ड मूल्य की धनराशि जमा कराकर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया जिसके अनुपालन में आवंटी द्वारा रुपये-4,00,000-00 जमा कराये गये । किन्तु इसी मध्य शिवलोक योजना भाग-3 के ही एक अन्य आवंटी श्री पतराम सिंह राणा के पक्ष में मा० राज्य उपभोक्ता फोरम/राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के आदेश के अनुपालन में उपाध्यक्ष द्वारा श्री पाण्डेय की सहमति पश्चात दिनांक 21-01-10 को भूखण्ड संख्या 74 का आवंटन श्री पतराम सिंह राणा के पक्ष में एवं श्री पतराम सिंह राणा के भूखण्ड संख्या-55 का आवंटन श्री पाण्डेय को किया गया । लेकिन कतिपय व्यक्तियों द्वारा भूखण्ड संख्या-74 पर कब्जा कर लेने एवं इससे सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भूखण्ड संख्या-74 का कब्जा अभी तक श्री पतराम सिंह राणा को नहीं दिया जा सका है । इसी कारण भूखण्ड संख्या-74 के स्थान पर श्री पाण्डेय को भी भूखण्ड संख्या-55 का कब्जा प्राप्त नहीं कराया जा सका है ।

श्री उमेश कुमार पाण्डेय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07-06-2010 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि सम्बन्धित भूखण्ड पर बार-बार मुकदमें आदि होने के कारण प्रार्थी को भूखण्ड का कब्जा नहीं मिल पा रहा है । अतः श्री पाण्डेय द्वारा अपनी वृद्धावस्था के कारण शिवलोक योजना भाग-3 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक योजना में रिक्त भूखण्ड एम0-16 का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूखण्ड संख्या-74 जिस पर कब्जा है, के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में प्राधिकरण आवंटित भूखण्ड का कब्जा आवंटी को नहीं दे सकता है । भूखण्ड परिवर्तन हेतु प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग के प्रस्ताव पर प्राधिकरण के वित्त अनुभाग द्वारा श्यामलोक योजना के प्रश्नगत भूखण्ड के आवंटन की संस्तुति रुपये-5718-00 प्रति वर्गमीटर की दर पर की गयी है ।

प्रकरण एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड आवंटन संबंधी है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में भी जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश से शिवलोक भाग-1 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्री अरुण त्यागी को शिवलोक-2 में तथा हरिलोक आवासीय योजना में भवनों के आवंटन हेतु श्री आदित्य कुमार खन्ना का पंजीकरण किये जाने के पश्चात हरिलोक योजना में भवनों का निर्माण नहीं किये जाने के कारण उसके बदले में श्यामलोक आवासीय योजना में एच0आई0 जी0 का भूखण्ड आवंटित किया गया था ।

अतः प्रस्ताव है कि आवंटी के प्रार्थना पत्र के क्रम में शिवलोक योजना भाग-3 में आवंटित भूखण्ड संख्या-एम0-55 का कब्जा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आवंटी को नहीं दिये जा सकने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या-एम0-16 का आवंटन रुपये-5718-00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटी श्री उमेश कुमार पाण्डेय को किये जाने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या-51(16)  
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद